

**न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)**  
**पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.**  
**पत्रावली संख्या : 90/22 (प्रा0पत्र)**  
**GCMS No. : 2022/344**

**अनवान्**

1. श्रीमती जीवा पत्नी रामा डांगी निवासी ओडवाडिया तह. मावली।
2. श्री भेरा उर्फ भेरूलाल पिता रामा डांगी निवासी ओडवाडिया तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. श्री चुन्नीलाल पिता अमरा डांगी निवासी ओडवाडिया तह. मावली।
2. श्रीमती सरसी पुत्री रामा पत्नी भगवान डांगी निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा।
3. श्रीमती प्रभुबाई पुत्री रामा पत्नी धर्मचन्द डांगी निवासी सांगवा तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
7. श्री मानाराम पिता सवा डांगी निवासी सांगवा तह. घासा।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित-1.** श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 7

3. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2, 3

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**  
**-: : निर्णय : :-**

**दिनांक : 02.12.2024**

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा ओडवाडिया पटवार हल्का ओडवाडिया तह. मावली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1068 रकबा 0.2023 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजी वर्तमान में प्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 967 रकबा 0.2590 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजी वर्तमान में विपक्षी संख्या 7 के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1 के पिता अमरा पुत्री हेमा डांगी के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज थी जिससे विपक्षी संख्या 1 के पिता अमरा पिता हेमा डांगी ने उक्त भूमि हम प्रार्थीगण के पिता/पति श्री रामा पिता वरदा डांगी को दिनांक 31.05.1978 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दी और मौके पर जहां विक्रेता अमरा का कब्जा उपभोग चला आ रहा था उस स्थान पर हमारे पिता/पति श्री रामा जी को कब्जा सौंप दिया। हमारे पिता/पति को मौके पर



- जहां पर कब्जा सुपुर्द किया गया उस भूमि के पडौस पूर्व में विक्रेता के भाई धन्ना की भूमि, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में रास्ता, दक्षिण में विक्रेता के भाई चेना की भूमि। उपरोक्त पडौसान मध्य स्थित भूमि पर विक्रेता द्वारा क्रेता श्री रामा को कब्जा सौंप दिया जिससे हमारे पिता/पति उक्त पडौसान मध्य स्थित भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और अपने पूरे जीवनकाल तक अपने परिवारजनों के साथ उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आये तथा हमारे पिता/पति की मृत्यु उपरान्त हम प्रार्थीगण अपने पिता/पति से प्राप्त हुई उक्त पडौसान मध्य स्थित कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और वर्तमान में भी हम प्रार्थीगण द्वारा ही निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग किया जा रहा है जिसमें विपक्षी संख्या 1 अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा हैं। हमारे पिता/पति रामा जी का निधन हो चुका है जिनके विधिक वारिस हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2, 3 हैं।
3. यह कि हम प्रार्थीगण के पिता/पति श्री रामा जी अनपढ व्यक्ति होकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले थे और भोले भाले इन्सान थे और वे हर किसी पर विश्वास कर लेते और इसी वजह से हमारे पिता/पति ने विक्रेता पर भी इस बात के लिए विश्वास कर लिया कि विक्रेता ने उन्हे जो जमीन बेची है उसी का मौके पर कब्जा सौंपा क्योंकि हमारे पिता/पति रामाजी ने मौके अनुसार ही जमीन क्रय की थी। इसके साथ ही विश्वास कर हमारे पिता/पति ने भूमि के कब्जे में सम्बन्ध में अपने मन में कोई शंका नहीं रखी कि विक्रेता ने जो जमीन रजिस्ट्री में लिखवाई है उसी का कब्जा सौंपा या दूसरी का। इसके पश्चात् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये विक्रय पत्र में अंकित भूमि को अपने नाम पर रद्दोबदल करवा दिया और अपने कब्जे काश्त की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लगे और उनकी मृत्यु पश्चात् हम प्रार्थीगण निर्बाध रूप से आज तक अपने कब्जे काश्त की जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। किन्तु अभी कुछ समय पूर्व जब हम प्रार्थीगण ने अपनी भूमि के बारे में रेवेन्यु अधिकारियों/कर्मचारी से किसी सन्दर्भ में बातचीत की तो हम प्रार्थीगण को यह ज्ञात हुआ कि हमारे पिता/पति के पक्ष में विक्रेता ने जो विक्रय पत्र लिखवाया था उसमें अंकित आराजी पर विक्रेता ने हमारे पिता/पति को कब्जा सुपुर्द न कर परिशिष्ट ब में अंकित आराजी नम्बर 967 की भूमि पर कब्जा सौंपा और विक्रय पत्र में जो पडौस लिखवाये वे भी इसी आराजी नम्बर 967 के ही अंकित करवाये क्योंकि हमारे पिता/पति ने उक्त चारो पडौसान मध्य स्थित भूमि को ही विक्रेता से क्रय किया था। हमें उक्त तथ्य की जानकारी होने पर हमने इस आराजी नम्बर 967 की जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की तो ये भूमि हमारे पिता/पति के नाम पर दर्ज न होकर विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने की जानकारी हुई जबकि हमारे पिता/पति वक्त खरीद से परिशिष्ट ब में अंकित आराजी नम्बर 967 की भूमि पर अपने पूरे जीवनकाल में अपने परिवारजन सहित

- निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे तथा हमारे पिता/पति की मृत्यु पश्चात् हम प्रार्थीगण उक्त भूमि पर ही शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं और आज भी हमारा ही कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में है अर्थात् उक्त भूमि विगत 44 वर्षों से हमारे पिता/पति एवं उनकी मृत्यु उपरान्त हम प्रार्थीगण के कब्जे अधिकार में निरन्तर निर्बाध रूप से चली आ रही है और इस अवधि में इस भूमि के इंच मात्र भाग पर विपक्षी संख्या 1 या अन्य किसी व्यक्ति का कभी कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा है और न ही वर्तमान में हैं।
4. यह कि हमारे पिता/पति को विपक्षी संख्या 1 के पिता अमरा जी द्वारा भूमि विक्रय की गई है और उनके द्वारा ही इस आराजी नम्बर 967 (जिसके पडौस विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित है) का मौके पर कब्जा सौंपा गया है जिस पर वक्त खरीद से निरन्तर कब्जा हमारे पिता/पति एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् हम प्रार्थीगण का चला आ रहा है और इस जमीन को काश्त योग्य बनाने में हमारे पिता/पति एवं हम प्रार्थीगण ने काफी खर्चा किया है और परिवार सहित कड़ी मेहनत मजदूरी कर जमीन को उपजाऊ बनाकर विकसित की है और इस भूमि के पास ही हमारे पिता की अन्य क्रयसुदा कृषि भूमि स्थित है जिसे व इस कुलिया कृषि भूमि को मिलाकर मौके पर एक ही चक बना रखा है और हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब में वर्णित कुलिया कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं जिसमें विपक्षी संख्या 1 या अन्य किसी का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में हमारा या हमारे पिता/पति का कभी भी कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा है क्योंकि विक्रेता द्वारा इस भूमि का कब्जा हमारे पिता/पति को सिपूद नहीं किया गया था। परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर अंकित होने से विपक्षी संख्या 1 ने लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर उक्त भूमि को दौराने दावा विपक्षी संख्या 7 को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये हस्तान्तरित कर दी और उक्त भूमि विपक्षी संख्या 7 ने अपने नाम रेवेन्यु रेकार्ड में भी अंकित करवा दी जिससे वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 7 के नाम पर दर्ज चली आ रही है जबकि विपक्षी संख्या 1 व 7 का उक्त भूमि से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है, न हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 7 के पक्ष में जो नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित कराया है उसमें इस भूमि का कब्जा विपक्षी संख्या 7 को सौंपने का भी मिथ्या कथन अंकित कराया है। इसलिए हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब में विपक्षी संख्या 7 के नाम अंकित कृषि भूमि में से 0.2024 हेक्टेयर (1 बीघा 5 बिस्वा) को हमारे एवं विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम पर बराबर-बराबर खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने एवं विपक्षी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटवाने के अधिकारी है तथा इसके बदले प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि जो हमारे नाम पर दर्ज है, को विपक्षी संख्या 7 के नाम पर दर्ज

करवाने के अधिकारी है। इसलिए माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि पर सुस्थापित रूप से कब्जा हमारे मौरूस एवं हमारा विगत 44 वर्षों से निर्बाध रूप से चला आ रहा है जिसका ज्ञान विपक्षी संख्या 1, इनके पूर्वाधिकारी तथा हर आम खास को है लेकिन उक्त भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने विपक्षी संख्या 1 लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर उक्त भूमि को नुमाईशी तौर पर विपक्षी संख्या 7 को हस्तान्तरित कर दी। जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था और विपक्षी संख्या 7 को भी इस बात की जानकारी है कि उक्त भूमि हमारे कब्जे उपयोग में चली आ रही है फिर भी विपक्षी संख्या 7 ने हमारी उक्त भूमि का नुमाईशी दस्तावेज अपने पक्ष में विपक्षी संख्या 1 से निष्पादित करवा दिया और अब विपक्षी संख्या 1, 7 आपस में मिलकर हमारे कब्जे काश्त में भी निरन्तर दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा कर रहे हैं और विपक्षी संख्या 7 उक्त भूमि पुनः दूसरो को हस्तान्तरित करने की ऐलानिया धमकीयां दे रहा है और जबरन कब्जा करने पर उतारू हो रहा है जबकि विपक्षी संख्या 1 के पिता अमरा द्वारा हमारे पिता/पति को भूमि विक्रय कर उक्त भूमि का मौके पर कब्जा सौंपा गया और उसके बाद से ही विपक्षी संख्या 1 या इसके मौरूस, परिवारजनों का कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है और न कभी ये लोग इस जमीन पर आये है तथा विपक्षी संख्या 7 भी मौके पर कभी भी नहीं आया है। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ब में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 7 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, विपक्षी संख्या 1 व 7 हमको उक्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, कब्जा नहीं करे, बेदखल नहीं करे, हमारे शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।
6. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 7 के नाम दर्ज भूमि में किन्ही कारणों से हमारी खातेदारी में कोई अडचन उपस्थित होती है तो कुलिया कृषि भूमि पर हमारे पिता/पति एवं उनके पश्चात् हम वारिसान का कब्जा 44 वर्ष से भी ज्यादा समय से खुले रूप में शांतिपूर्वक लगातार अधिकार सहित चला आ रहा है इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हम उक्त कृषि भूमि को अपने खाते कराने के अधिकारी है।
7. यह कि हम प्रार्थीगण का मजबूत प्राइमफैसी केस है क्योंकि क्रय की तिथी से हमारे मौरूस एवं उनकी मृत्यु पश्चात् हम वारिसान परिशिष्ट ब में वर्णित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा विपक्षी संख्या 1 के मौरूस स्वयं ने जमीन

बेचकर उक्त भूमि का हमारे मौरूस को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था और विक्रय पत्र में जो पड़ोस अंकित करवाये वह भी इसी भूमि के है तथा ये भूमि भी पहले अमरा के ही खातेदारी में दर्ज थी। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 7 का किसी प्रकार का स्वत्व अधिकार इस भूमि में नहीं होना स्वयंमेव ही सिद्ध है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम प्रार्थीगण को अतुलनीय एवं अपरिमित क्षति व हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

8. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 06.08.2022 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने जमीन अन्य को बेचने की धमकी दी और हमारे कहने पर भी हमारे खाते कराने से इन्कार हो गया, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
9. अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हम प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि का विपक्षी संख्या 1 व 7 हम प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, बेदखल नहीं करे, न कब्जा करे, न उक्त कार्य स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें तथा विपक्षी संख्या 4 से 5 ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे, राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं करे, किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें।
10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुझ विपक्षी के पिता अमराजी ने परिशिष्ट अ मे वर्णित आराजीयात आराजी न0 1068 रकबा 0.2023 हेक्टेयर अवश्य रामा पिता वरदा डांगी को दिनांक 31-5-1978 को विक्रय की थी परन्तु उक्त भूमि के जो पड़ोस वादीगण ने अंकित किये है वो गलत व मिथ्या है क्योंकि उक्त वर्ष 1978 में अमराजी के नाम पर आराजी न0 1068 व 967 व अन्य आराजीयात का एक संयुक्त खाता था जिसमे से आराजी न0 1068 विक्रय की थी इसलिए संयुक्त आराजीयात के खाते की उक्त आराजी न0 1068 के पड़ोस अंकित किये जाना ही संभव नहीं है न ही संयुक्त खाते की भूमि के पड़ोसो का निर्धारण ही किया जा सकता है। वादीगण ने जो पड़ोस अंकित किये है वो गलत व मिथ्या अंकित किये है। वादीगण के पिता/पति खरीद की दिनांक से ही आराजी न0 1068 पर काबिज थे और वर्तमान मे भी इसी आराजीयात पर काबिज है व रामा डांगी की मृत्यु के पश्चात इनके वारिसान भी इसी आराजी न0 1068 पर काबिज

हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। खसरा जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 में आराजी न० 1068 रामा पिता वरदा डांगी के नाम पर अंकित है।

11. यह कि मुझ विपक्षी के पिता अमराजी ने रामाजी को आराजी न० 1068 ही विक्रय की थी और इसी भूमि का पंजीयन रामाजी के पक्ष में करवाया था तथा मौके पर भी इसी आराजी का कब्जा सिपुर्द किया था। आराजी न० 967 रकबा एक बीघा बारह बिस्वा भूमि पूर्व में अमरा पिता हेमा डांगी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी। अमरा जी की मृत्यु के उपरान्त उक्त जमीन विरासत से उनकी पत्नी खेमणी व अन्य वारिसों के नाम पर हिस्सानुसार अंकित हुई। अमराजी के पुत्र एवं पुत्रीयों ने अमराजी की पत्नी खेमणी के पक्ष में दिनांक 19-4-2006 को हक त्याग से उक्त अपने हिस्से को खेमणी पत्नी अमराजी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाया तथा खेमणी ने दिनांक 19-3-2012 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा मुझ विपक्षी चुन्नीलाल पिता अमराजी डांगी को जरिए दान पत्र से हस्तान्तरित कर दिया। मुझ विपक्षी ने दिनांक 11-7-2022 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त जमीन को मानाराम पिता सवाजी डांगी निवासी सांगवा को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी व राजस्व कर्मचारियों ने भी आराजी न० 967 के मौके की जांच कर नामान्तरणकरण मानाराम के नाम पर दर्ज किया है। उक्त सभी राजस्व कार्यवाहियों अर्थात् हक त्याग पत्र, दान पत्र तथा बैंक द्वारा लोन के संबंध में राजस्व कर्मचारियों व बैंक कर्मचारियों ने मौके की जांच कर ही दस्तावेज निष्पादित किये हैं। जिसमें वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं किया गया था। वर्तमान में उक्त जमीन के दोनों तरफ रोड़ बन जाने से वादीगण के मन में बदयान्ति उत्पन्न हो गयी और रामाजी द्वारा उक्त जमीन को खरीदे हुए करीबन 45 वर्ष होने के पश्चात् उक्त वाद प्रस्तुत किया जो चलने योग्य नहीं है। वर्तमान में उक्त भूमि आराजी न० 967 के मौके का कब्जा मानाराम को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सिपुर्द किया गया व मानाराम ने अपने नाम पर नामान्तरण खुलवाने के बाद मौके पर फसल बो रखी है।
12. यह कि मुझ विपक्षी चुन्नीलाल के पिता अमराजी ने वादीगण के पिता/पति रामाजी को आराजी न० 1068 ही विक्रय की थी व इसी भूमि का कब्जा सिपुर्द किया था जिस पर वादीगण काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वादीगण का आराजी न० 967 पर कभी भी कब्जा नहीं रहा न ही वर्तमान में इनके कब्जे उपभोग में है। वर्तमान में उक्त भूमि पर मानाराम डांगी का कब्जा है और उसी के उपयोग उपभोग में है इसलिए वादीगण उक्त आराजी न० 967 के रकबा 0.2590 पूर्व रकबा एक बीघा पांच बिस्वा भूमि को अपने नाम पर घोषित करवाने के अधिकारी नहीं हैं, न ही कानूनन इनके नाम पर घोषित की जा सकती है।

13. यह कि वादीगण के पिता रामा डांगी और रामा डांगी की मृत्यु पश्चात इनके वारिसों वादीगण का कब्जा न तो पूर्व में उक्त आराजी न० 967 पर रहा न ही वर्तमान में इनके कब्जे उपभोग में है। चूंकि वर्तमान में उक्त आराजी न० 967 के दोनों तरफ रोड़ निकल गयी है इसलिए वादीगण के मन में बदयान्ति व लालच उत्पन्न हो जाने से उक्त वाद व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। वादीगण मुझ विपक्षी व अन्य के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है।
14. यह कि उक्त आराजी न० 967 पर न तो रामाजी का कब्जा रहा और न ही वादीगण का कब्जा कभी भी रहा है। वादीगण विगत 44 वर्षों से आराजी न० 1068 पर ही काबिज है और वर्तमान में भी यही आराजी इनके कब्जे उपभोग में है इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उक्त भूमि इनके नाम पर खाते नहीं की जा सकती है।
15. यह कि वादीगण का न तो प्राइमफैसी केंस है न ही सुविधा संतुलन ही इनके पक्ष में है और न ही इनको किसी प्रकार की अशोधनीय क्षति ही हो रही है क्योंकि वादीगण का उक्त आराजी न० 967 पर कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम पर अंकित है। वादीगण के पिता रामा डांगी ने मुझ विपक्षी के पिता से आराजी न० 1068 खरीदी थी और अमराजी ने रामाजी को आराजी न० 1068 का ही कब्जा सिपुर्द किया था और उक्त भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में यही आराजी अंकित है और रामाजी के जीवनकाल में रामाजी व रामाजी की मृत्यु पश्चात उक्त भूमि पर इनके वारिसान वादीगण काबिज है इसलिए वादीगण हम विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
16. यह कि वादीगण को हम विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 06-08-2022 या कभी भी कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि वादीगण का आराजी न० 967 पर न तो पूर्व में कब्जा था और न ही वर्तमान में इनके कब्जे में है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में इनके नाम पर दर्ज है।
17. यह कि वादीगण ने वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त जो मौका पर्चा पटवारी व फर्जी गवाहन से मिली भगत कर बनवाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया है उक्त फर्जी दस्तावेज बनाने पर वर्तमान खातेदार मानाराम डांगी द्वारा वादीगण, पटवारी व फर्जी गवाहन के विरुद्ध पुलिस थाना डबोक में कानूनी कार्यवाही कर रखी है जो पुलिस में विचारणीय है।
18. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद मिथ्या मनगड़न्त व गलत तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे। वादीगण हम विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है।
19. **विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब पेश** कर निवेदन किया कि उक्त जमीन को दिनांक 11-7-2022 को विपक्षी चुन्नीलाल से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदकर कब्जा

- प्राप्त किया है। विपक्षी संख्या एक चुन्नीलाल के पिता ने कलम संख्या एक के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी न० 1068 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि रामा पिता वरदा डांगी को दिनांक 31-5-1978 को विक्रय की थी तथा उसी का कब्जा रामा पिता वरदा को सिपुर्द किया था। प्रार्थीगण ने जो पड़ोस अंकित किये हैं वह गलत होकर मिथ्या है। वर्ष 1978 को विक्रय के समय आराजी न० 1068 व 967 व अन्य आराजीयात विपक्षी संख्या एक चुन्नीलाल के पिता अमराजी के नाम पर अंकित थी जिसकी नकल जमाबंदी जबाब दावा के साथ है उस वक्त अमराजी के नाम पर नकल जमाबंदी में वर्णित सभी आराजीयात खातेदारी के हिसाब से दर्ज थी। अमराजी का उस वक्त संयुक्त खाता था जिस कारण किसी भी आराजी का अंदाज से पड़ोसियों का वर्णन करना सही तरीके से संभव नहीं है। इस तरह करीब चार पांच रकबों में किसी भी आराजी विशेष का पड़ोस निर्धारित नहीं किया जा सकता है, केवल मात्र अंदाज से लिखे गये पड़ोसों के आधार पर मेरी जमीन पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थीगण व इसके पिता वर्ष 1978 से आराजी न० 1068 पर काबिज है। प्रार्थीगण के पिता रामाजी की मृत्यु के बाद आराजी न० 1068 पर इनका नामान्तरण भी दर्ज हुआ है तथा खसरा जमाबंदी में भी आराजी न० 1068 पर रामा पिता वरदा डांगी का नाम दर्ज है तथा रबी एवं खरीफ की फसल को प्राप्त करने का अंकन भी जमाबंदी में अंकित है।
20. यह कि विपक्षी संख्या एक के पिता अमराजी ने अपने संयुक्त, खाते की जमीन आराजी न० 1068 को रामाजी के पक्ष में जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से पंजीयन करवाया तथा कब्जा भी आराजी न० 1068 पर दिया था। आराजी न० 967 पूर्व में अमरा पिता हेमा डांगी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी अमराजी की मृत्यु पश्चात उक्त जमीन विरासत से उनकी पत्नी खेमणी एवं विपक्षी संख्या एक चुन्नीलाल व अन्य वारिसों के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई। अमराजी के पुत्र एवं पुत्रीयों ने उक्त जमीन में अपने हिस्से को अपनी माता खेमणी को दिनांक 19-4-2006 को हक त्याग कर दिया था व उक्त जमीन नामान्तरण से भी खेमणी पत्नी अमरा के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तथा खेमणी ने दिनांक 19-3-2012 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिए दान पत्र विपक्षी संख्या एक के नाम पर कर दिया जिसका नामान्तरण दर्ज हुआ तथा विपक्षी संख्या एक ने दिनांक 11-7-2022 को उक्त जमीन मुझ विपक्षी संख्या चार को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी 967 के संबंध में विरासत के नामान्तरण एवं हक त्याग के नामान्तरण एवं दान पत्र के नामान्तरण तक विधिवत रूप से कब्जे की जांच कर नामान्तरण की कार्यवाही की थी तथा मुझ विपक्षी संख्या चार के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण कब्जे को देखते हुए किया था। पूर्व में अमरा डांगी ने बैंक से लोन भी लिया उस वक्त भी बैंक कर्मचारियों द्वारा कब्जे की जांच की थी। उपरोक्त विधि अनुसार की गयी कार्यवाही में प्रार्थीगण द्वारा कोई

उजर एतराज नहीं किया गया था। करीबन 45 वर्ष बाद 1978 के समय से प्रार्थीगण आराजी न० 1068 पर काबिज हो खेती करते आ रहे हैं तथा आराजी न० 967 पर अमरा एवं उनके वारिस एवं विपक्षी संख्या एक कब्जे काश्त होकर मौसम अनुसार फसल प्राप्त करते आ रहे हैं जिसकी ताईद में खसरा जमाबंदी साथ संलग्न है परन्तु आराजी न० 967 के पास रोड़ बन जाने की वजह से व जमीन की कीमतों में इजाफा होने से प्रार्थीगण द्वारा इस तरह के दावे आप न्यायालय में पेश किये जा रहे हैं ताकि खातेदारों को दबाव में लेकर जमीन को हड़प सकें। इसी क्रम में प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या एक के भाई रतनलाल के विरुद्ध भी आप न्यायालय में एक दावा पेश किया था जिसके आराजी न० 1069 एवं 968 हैं। उक्त जमीन बाबत भी प्रार्थी ने पड़ोसों के आधार पर गलत तथ्य अंकित किये थे कि विक्रय पत्र की दिनांक से कब्जा मुझे किसी और जमीन का दिया गया था इस तरह प्रार्थी आदतन झूठे दावे करने का आदि होकर खातेदारों को दबाव में डालकर जमीनें हड़पने का काम करते हैं।

21. यह कि प्रार्थीगण का आराजी न० 967 पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। खसरा जमाबंदी में प्रार्थीगण द्वारा आराजी न० 1068 पर रबी व खरीफ की फसल बोई है जिसकी मौका रिपोर्ट कर खसरा नकल जमाबंदी में अंकन किया है तथा 967 पर अमरा के वारिसों का अंकन किया गया है। उक्त जमीन पर वर्तमान में मुझ विपक्षी संख्या चार का कब्जा हो खेती करता आ रहा हूँ। कब्जे का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर नहीं है। मात्र पड़ोसों के आधार पर एवं किसी दस्तावेजों के अभाव में प्रार्थीगण को उक्त दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है।
22. यह कि प्रार्थीगण के पिता रामा डांगी का कब्जा उसके जीवनकाल में आराजी न० 967 पर नहीं रहा न ही उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारिसान का कब्जा रहा है। वर्तमान में आराजी न० 967 मुझ विपक्षी संख्या चार के कब्जे में है। भूमि की कीमते बढ़ जाने की वजह से प्रार्थीगण के मन में लालच व बदनियति उत्पन्न हो गयी है एवं मिथ्या कथनों के आधार पर दावा करने की आदत पड़ गयी है। पूर्व में इसी तरह का दावा आप न्यायालय में लम्बित है जिसके मुकदमा संख्या 135/22 एवं 88/22 है। यदि मान भी लिया जावे कि कब्जा अलग अलग जमीन का दिया गया है तो दो आराजीयों में खातेदार द्वारा पंजीयन अलग आराजी का करवाया गया व कब्जा किसी ओर का दिया जो कि पूर्ण तया असंभव है। केवल मात्र प्रार्थीगण आप न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर मुझे मेरी जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नहीं है।
23. यह कि प्रार्थीगण का उक्त जमीन पर 44 वर्षों से कोई कब्जा नहीं है। उक्त जमीन पर न तो रामाजी का कब्जा था न उनके वारिसों का कब्जा है। प्रार्थीगण विक्रय की दिनांक से करीबन 44 वर्षों से आराजी न० 1068 पर काबित है। कब्जे के अभाव में खातेदारी की

घोषणा नहीं करवा सकते हैं न ही मुझ विपक्षी संख्या चार के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। खसरा जमाबंदी के अनुसार आराजी न० 967 पर प्रार्थीगण या उनके पिता का नाम अतिक्रमी या खातेदारी की हैसियत से दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण का नाम आराजी न० 1068 में खातेदार के रूप में रबी एवं खरीफ की फसल प्राप्त करते हुए दर्ज है। इस प्रकार राजकीय दस्तावेजों में भी आराजी न० 967 पर रामा एवं उसके वारिसान का नाम दर्ज नहीं है जिससे प्रार्थी द्वारा 44 वर्षों से कब्जे का तथ्य पूर्ण तया गलत है। जिससे खातेदारी हक प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

24. यह कि प्रार्थीगण का न तो प्राइमफैसी कैंस है न ही सुविधा संतुलन ही इनके पक्ष में है और न ही इनको किसी प्रकार की कोई अशोधनिय क्षति हो रही है क्योंकि आराजी न० 967 पर मे विपक्षी संख्या चार काबिज हूं और आराजी न० 1068 पर प्रार्थीगण एवं उनके पिता वर्ष 1978 से काबिज हो खेती करते आ रहे हैं। करीबन 44 वर्षों से प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या एक के मध्य किसी प्रकार का कोई विप्रार्थना नहीं था केवल मात्र उक्त जमीन को मुझ विपक्षी संख्या चार द्वारा खरीद लेने से द्वेषतावश उक्त प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है।
25. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक को कोई प्रार्थना कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।
26. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना मिथ्या मनगड़न्त व गलत तथ्यों पर आधारित होने से सब्यय खारित फरमाया जावे। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।
27. **विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया** कि प्रार्थीगण एवं हम विपक्षी संख्या 2, 3 के पिता ने प्रार्थना पत्र में अंकित पड़ोसान मध्य स्थित भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आये हैं तथा हमारे पिता द्वारा आराजी नम्बर 967 की भूमि को ही खरीदा गया था और कब्जा भी इसी पर था तथा हम भी हमारे पिता के साथ इसी आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे हैं और आज भी रामाजी के सभी वारिसान प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2, 3 इसी आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। हमारे पिता रामाजी का निधन हो चुका है। हम विपक्षी संख्या 2, 3 रामाजी की जायन्दा पुत्रीयां हैं और रामाजी से प्राप्त हुई उक्त कृषि भूमियों एवं अन्य जायदाद पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हैं किन्तु रामाजी की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि का विरासत के आधार पर जब नामान्तरकरण खोला गया उसमें हमारे नाम अंकित नहीं किये गये जबकि हम भी रामाजी की जायन्दा पुत्रीयां हैं और इसमें हमारे भी जायज हक अधिकार निहित हैं।
28. यहकि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट (ब) में अंकित आराजी नम्बर 967 की भूमि पर पहले इनके पिता रामा जी अपने परिवार के सदस्यों के साथ काबिज होकर काश्त करते थे

और रामाजी के मरने के बाद प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2, 3 ही इस भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, न ही कब्जा है।

29. यहकि आराजी नम्बर 967 की भूमि को ही हमारे पिता रामाजी ने इसके पूर्व खातेदार से खरीदकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था और इसी भूमि पर हमारे पिता ने काफी लागत भी लगाई है और रजिस्ट्री में जो पड़ौस अंकित है वे भी इसी आराजी के ही हैं। हमारे पिता उनके पूरे जीवनकाल में इसी आराजी की क्रयसुदा भूमि पर काबिज रहे थे तथा उनकी मृत्यु पश्चात् हम सभी वारिसान समान हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं इसलिये प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट (ब) में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित कृषि भूमि को प्रार्थीगण के साथ ही हम विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम पर भी बराबर-बराबर खातेदारी हक की घोषित कराने की अधिकारीणी है जिस हेतु हमारी ओर से काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया है।
30. यह कि न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जावे तो हम विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है।
31. अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे जिसमें हम विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है।
32. **काउन्टर प्रार्थना पत्र कर निवदेन किया कि** राजस्व ग्राम ओडवाडिया, पटवार हल्का ओडवाडिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में आराजी नम्बर 967 रकबा 0.2590 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 नाम पर दर्ज है जिसके पड़ौस पूर्व में विक्रेता के भाई धन्ना की भूमि, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में रास्ता, दक्षिण में विक्रेता के भाई चैना की भूमि। उपरोक्त पड़ौसान मध्य स्थित भूमि पर विक्रेता द्वारा क्रेता श्री रामा को कब्जा सौंपा जिससे हमारे पिता उक्त पड़ौसान मध्य स्थित भूमि पर वक्त खरीद से काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और अपने पूरे जीवनकाल तक अपने परिवारजनों के साथ उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आये तथा हमारे पिता की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2, 3 रामाजी से प्राप्त हुई उक्त पड़ौसान मध्य स्थित कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और वर्तमान में भी हमारे द्वारा ही निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग किया जा रहा है जिसमें विपक्षी संख्या 1 अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। हमारे पिता/पति रामा जी का निधन हो चुका है जिनके विधिक वारिस प्रार्थीगण एवं हम विपक्षी संख्या 2, 3 हैं।
33. यह कि क्रेता रामाजी की वक्त खरीद से आराजी नम्बर 967 की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं लेकिन विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में पंजीकृत कराये गये विक्रय पत्र आराजी की गफलत कर दी गई जबकि पड़ौस आराजी नम्बर 967 के ही दर्ज करवाये। उपरोक्त

कारणों से हमारे पिता की खरीदसुदा आराजी नम्बर 967 की भूमि उनके नाम पर नहीं हुई जबकि कब्जा वक्त खरीद से इसी आराजी पर चला आया है और वर्तमान में भी यही आराजी हमारे व प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हैं किन्तु उक्त भूमि हमारे नाम पर अंकित नहीं होने से हमको भारी असुविधा एवं आर्थिक क्षति हो रही है और मानसिक पीड़ा भी भोगनी पड़ रही हैं। इसलिये काउण्टर क्लेम में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित कुलिया भूमि को हम विपक्षी संख्या 2, 3 प्रार्थीगण के साथ ही हमारे नाम पर खातेदारी हक से घोषित करवाकर राजस्व रेकॉर्ड में अपना नाम खातेदारी हक से अंकन कराने की अधिकारीणी हैं इसलिये आप न्यायालय में हमारी ओर से काउण्टर क्लेम प्रस्तुत हैं।

34. यह कि हम विपक्षीगण का प्राइमाफैसी कैस है और सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है। क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि हमारे पिता की क्रयसुदा है जिस पर हमारे पिता उनके पूरे जीवनकाल तक काबिज रहे और वर्तमान में इस पर प्रार्थीगण के साथ ही हमारा भी कब्जा उपयोग चला आ रहा है। लेकिन विपक्षी संख्या 1 द्वारा हम विपक्षीगण को हमारे जायज हक अधिकारो से वंचित करने की नियत से उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकीयां दी जा रही है इसलिये हम विपक्षीगण विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि विपक्षी सं. 1 हम विपक्षीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम विपक्षीगण को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हमारे पक्ष में है।
35. यह कि हम विपक्षीगण को काउन्टर प्रार्थना पत्र कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
36. अन्त में निवेदन किया कि हम विपक्षी संख्या 2, 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षी संख्या 1 स्वीकार फरमाया विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि विपक्षी संख्या 1 हम विपक्षीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

37. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा अपनी बहस में काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 व 7 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 2, 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
38. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। ग्राम ओडवाडिया की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 74 पर दर्ज आराजी नम्बर 1117, 967 भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज थी। विपक्षी सं. 1 द्वारा आराजी नम्बर 967 विपक्षी सं. 7 मानाराम को विक्रय कर दी गई। प्रार्थीगण के कथनानुसार आराजी नम्बर 967 हमारे मौरूस रामा पिता वरदा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पिता अमरा से क्रय की गई थी, उस समय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में उक्त आराजीयात के पडोस अंकित किये गये थे परन्तु सेहवन से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में आराजी नम्बर 1068 अंकित हो गये। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित पडोस लगभग समान पाये गये। इस प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में आराजी नम्बर त्रुटिवंश अंकित हुए है या नहीं, यह तथ्य तो मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर निस्तारित किया जायेगा। न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2024 को यह कथन करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई गई थी कि प्रार्थी के द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण के तथ्यों की प्रकृति परिवर्तित हो जायेगी। इसलिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे बढ़ाया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा तीनो बिन्दुओं को विपक्षी के पक्ष में साबित नहीं किये गये थे। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि का विपक्षी संख्या 7 रेकार्डेड खातेदार हैं इसलिए प्रथम दृष्टया विपक्षी संख्या 7 को रेकार्ड की यथास्थिति के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता है परन्तु प्रार्थीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित पडोसों के मध्य की भूमि बताकर मौके पर लगभग 44 वर्षों से खेती करना बता रहे हैं। उक्त पडोसों की ताईद तहसीलदार रिपोर्ट से भी हो रही है। इससे प्रथम दृष्टया वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कब्जे सम्बन्धी विवाद होना प्रतीत होता है। विवाद अधिक बढ़ने से किसी भी पक्ष को अपूरणीय क्षति हो सकती है इसलिए विवाद की बाहुलता को रोकने के लिए उभय पक्षकारों को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता है जिससे कि अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं बढ़ेगी तथा किसी भी पक्ष को मौके की यथास्थिति में अपूरणीय क्षति नहीं होगी। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के

आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व विपक्षी संख्या 2, 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

### **—: आदेश :—**

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 2, 3 का प्रतिवाद आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा ओडवाडिया पटवार हल्का गुडली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 406 पर दर्ज आराजी नम्बर 967 रकबा 0.2590 हेक्टेयर भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.12.2024 को जारी की गई।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**  
सहायक कलक्टर  
**(SDO)मावली**